यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. एस. दरियाल एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.10.2020 से 21.10.2020 तक श्री आर. एस. नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.08.2019 से 13.08.2019 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: वन संरक्षण एवं संवर्धन, समस्त रेंज।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	975.40
2018-19	1115.57
2019-20	911.63

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2017-18	1066.15	1066.15	247.60	247.60	-	-	-
2018-19	235.06	235.06	370.38	370.38	-	-	-
2019-20	307.03	307.03	486.06	486.06	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

स्थापना योजना का नाम	**केन्द्र पोषित/राज्य पोषित**	**प्रा. आ.**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत (%)**
2406-01-101-01-02 आई.एफ.एम.	केन्द्र पोषित	-	3182581	3182581	-
2406-02-110-01-08 टाईगर प्रोजेक्ट	केन्द्र पोषित	-	2059468	2059468	-
2406-02-110-01-03 हाथी परियोजना	केन्द्र पोषित	-	2111797	2111797	-

(iii)इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 01/2020 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: .....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

प्रस्तर - 01 : वन विकास निगम से राजस्व का अप्राप्त रहना ₹391.35 लाख।

प्रस्तर- 02 : विलम्ब से राजस्व जमा करने पर ब्याज की वसूली नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹37.16 लाख की वसूली नहीं किया जाना एवं वर्ष 2019-20 का कोई राजस्व प्राप्त नहीं होने के बाद भी वसूली की कार्यवाही नहीं किया जाना।

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर- 04 : नियमानुसार कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरुप श्रमिक उपकर ₹5.13 लाख की कटौती कर जमा नहीं किया जाना।

प्रस्तर- 05 : नियमानुसार जिला खनिज फाउंडेशन में निर्धारित धनराशि ₹2.58 करोंड जमा नहीं करवाया जाना।

प्रस्तर- 06 : विभाग की राजस्व वसूली के प्रति उदासीनता के परिणामस्वरूप ₹10.53 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना।

प्रस्तर- 07 : वन जमा में CAMPA निधि हेतु प्राप्त धनराशि ₹2.06 करोड़ अनाधिकृत रुप से रखा जाना।

प्रस्तर- 08 : निर्धारित लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्त होना ₹399.64 लाख।

प्रस्तर- 09 : राजस्व को विलम्ब से कोषागार/बैंक मे जमा कराया जाना।

प्रस्तर- 10 : चालान का कोषागार से सत्यापन न हो पाना ₹88.86 लाख।

STAN

प्रस्तर- 01 : जमानत धनराशि जमा नहीं कराया जाना ₹0.56 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

" शून्य "

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित न करते हुए ठेकेदार को अनुचित लाभ ₹13.89 लाख।

प्रस्तर- 02 : वन जमा में ₹2.16 लाख का विभाग के पास कोई विवरण नही होना।

प्रस्तर- 03 : लैनटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹19.25 लाख।

भाग - II (अ)

प्रस्तर - 01 : वन विकास निगम से राजस्व का अप्राप्त रहना ₹391.35 लाख।

Ministry of Environment and Forest, Government of India के पत्र दिनांक 29.03.2005 में Notified forest में Disposal of the trees standing on the forest land diverted for non forestry use under the Forest (conservation) Act 1980 के विषय में clarification दिया गया था कि "Timber shall be disposed of by the State Forest Department in the manner as deemed fit by it and the sale proceeds shall also accrue to the department and further clarification dated 11/12/2008 द्वारा कहा गया था कि the User/Project implementing Agency are not required to pay the cost of trees to the State Forest Departments but are required to make payment toward cutting, felling, logging and transportation charges of project affected trees to the State Forest Departments in addition to Compensatory Afforestation (CA) and Net Present Value (NPV)

प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखंड वन विकास निगम, हरिद्वार ने अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 द्वारा वर्ष 2018-19 में विकास कार्यों के लिए आवंटित वन भूमि पर उत्पादित प्रकाष्ठ की लौटो से विक्रय धनराशि ₹391,35,045/= (₹ तीन करोड़ इक्यानबे लाख पैतीस हजार पैतालीस मात्र) को विभिन्न कार्यदायी संस्थाओ को वापसी के लिए प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार से अनुमोदन चाहा था। जबकि उक्त राशि वन विभाग के वृक्षों के राजस्व की थी। अत: 2018-19 में विकास कार्यों के लिए आवंटित वन भूमि पर उत्पादित प्रकाष्ट की लौटो से विक्रय धनराशि ₹391,35,045/= के राजस्व अप्राप्त रहा।

लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि विगत वर्षो में उत्पदित प्रकाष्ठ की राजस्व कब से वन विभाग को प्राप्त नहीं हुई, का विवरण भी उपलब्ध नही था। वर्ष 2019-20 के विकास कार्यों के लिये आवंटित वन भूमि पर उत्पादित वृक्षों की विक्रय से प्राप्त राशि निगम ने विभाग को अंतरित नहीं की थी। विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नही की जा रही थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि उच्चाधिकारियों से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अत: ₹391.35 लाख के राजस्व के अप्राप्त रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर- 02 : विलम्ब से राजस्व जमा करने पर ब्याज की वसूली नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹37.16 लाख की वसूली नहीं किया जाना एवं वर्ष 2019-20 का कोई राजस्व प्राप्त नहीं होने के बाद भी वसूली की कार्यवाही नहीं किया जाना।

वन विकास निगम हरिद्वार के द्वारा दो चालानों से क्षतिपूर्ति और वनीकरण मद हेतु दिनांक 30/03/2019 को ₹20645806/- (10322903+10322903) जमा किया गया था, जो कि 2017-18 में उत्पादित उपखनिज के सापेक्ष प्राप्त किया गया था। वन विकास निगम के द्वारा जमा की गई क्षतिपूर्ति और वनीकरण मद की धनराशि सरकारी राजस्व है जिसे यथाशीघ्र जमा किया जाना वांछित था, लेकिन निगम के द्वारा एक वर्ष से अधिक विलम्ब से 30 मार्च, 2019 में जमा किया गया था, जबकि निगम के द्वारा प्रश्नगत धनराशि को वर्ष 2017-18 में ही प्राप्त कर लिया गया था। आगे अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत मद में कोई धनराशि प्राप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं है। वर्ष 2018-19 में खनन बंद रहने के कारण प्रश्नगत मद में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुयी। लेकिन 2019-20 में खनन कार्य किया गया था। लेकिन प्रभाग को प्रश्नगत मद में आतिथि तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुयी थी। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा निगम को धनराशि की मांग हेतु कोई पत्राचार नहीं किया गया था। वर्ष 2017-18 का क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि भी निगम के द्वारा 1 वर्ष बाद जमा की गयी थी। अतः राजस्व विलम्ब से जमा करने पर दंडात्मक ब्याज 18 प्रतिशत ब्याज आगणित कर मांग पत्र जारी किया जाने का अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं है। जिससे ₹3716245.08 (20645806 x 18%) वसूला नहीं गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कि क्या वर्ष 2017-18 में वन निगम के द्वारा विलम्ब से जमा की गयी धनराशि पर दंडात्मक ब्याज आगणित कर मांग पत्र जारी किया जाएगा, विभाग ने आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये उत्तर में बताया कि “हाँ, ब्याज आंगणन कर, मांग पत्र शीघ्र जारी किया जाएगा” एवं “वर्ष 2019-20 का बकाया हेतु शीघ्र कार्यवाही कर वसूली की जाएगी”। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग को यह भी जानकारी नहीं थी कि प्रभाग को खनन कार्य के सापेक्ष कोई राजस्व भी प्राप्त होना है। अतः विलम्ब से राजस्व जमा करने पर ब्याज की वसूली नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹37.16 लाख की वसूली नहीं किया जाना एवं वर्ष 2019-20 का कोई राजस्व प्राप्त नहीं होने के बाद भी वसूली की कार्यवाही नहीं किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - II(ब)

प्रस्तर- 01 : श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित न करते हुए ठेकेदार को अनुचित लाभ ₹13.89 लाख।

Article 6 of The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 provides guidelines regarding **Contribution and matters which may be provided for in Scheme** and explains that "the contribution which shall be paid by the employer to the fund shall be [ten per cent.] of the basic wages, [dearness allowances and retaining allowance (if any)] for the time being payable to each of the employees [(whether employed by him directly or by or through a contractor)], and the employees' contribution shall be equal to the contribution payable by the employer in respect of him and may [if any employee so desires, be an amount exceeding [ten per cent.]of his basic wages, dearness allowance and retaining allowance (if any), subject to the condition that the employer shall not be under an obligation to pay any contribution over and above his contribution payable under this section]:

[Provided that in its application to any establishment or class of establishments which the Central Government, after making such inquiry as it deems fit, may, by notification in the Official Gazette specify this section shall be subject to the modification that for the words [ten per cent], at both the places where they occur, the words [twelve per cent.] shall be substituted:]

प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभागीय वनाधिकारी एवं M/s Ujjawal Labour Contract के मध्य सेवा प्रदान किए जाने हेतु अवधि 01.01.2018 से 30.11.2018 के लिए अनुबंध किया गया था। अनुबंध लेखा परीक्षा तिथि तक गतिमान था। लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि 01/2018 से 03/2019 तक ठेकेदार, विभाग से 25.16% की दर से भविष्य निधि मद में राशि प्राप्त करता रहा जबकि इस संबंध में, प्रावधानों के अनुसार EPFO कार्यालय प्रतिशत प्रभार के साथ 13% का दावा अनुमन्य किया जाना था परंतु जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि में ठेकेदार द्वारा कार्यालय से 25.16% की दर से EPF भुगतान हेतु दावा प्रस्तुत किया गया था। दस्तावेज जैसे ECR (Electronic Challan cum Return, कार्मिको को भुगतान के प्रमाणक, TRRN number आदि जिससे स्पष्ट हो कि कार्मिकों को नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है एवं उसके सामाजिक सुरक्षा के अधिकार जैसे भविष्य निधि, बीमा आदि में देय नियमित अंशदान किया जा रहा है सुनिश्चित किए बिना ही कार्यालय ठेकेदार को भुगतान कर रहा था। कार्मिको की उपस्थिति का कोई अभिलेख कार्यालय ने

उपलब्ध नहीं कराया । जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि में 13% की दर से शासन के देय दायित्व के स्थान पर 25.16% की दर पर दावा स्वीकार करने से ₹10,10,383/= ठेकेदार को अनुचित अधिक भुगतान किया गया।

अप्रैल 2019 से दिस0 2019 तक की अवधि में ठेकेदार ने 13% की दर से दावा प्रस्तुत किया और 12% की दर से ईपीएफ़ में अंशदान किया दावा EPFO कार्यालय के प्रतिशत प्रभार के अनुसार उचित था परंतु इस अवधि का TRRN number भुगतान वास्तविक जमा किया गया या नहीं का साक्ष्य उपलब्ध नहीं था ।

जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक ठेकेदार 13% की दर से EPF का दावा तो करता रहा परंतु इस अवधि में उपलब्ध कराये गए ईसीआर के अनुसार मात्र 10% की दर से अंशदान कर रहा था इस प्रकार ₹1,43,677/= अनुचित लाभ इस अवधि में ठेकेदार ने लिया ।

इसी प्रकार 01.01.2018 से मार्च 2019 तक की अवधि में कार्मिको के बीमा मद में 6.50% की दर पर ठेकेदार ने दावा किया जबकि मात्र 3.25% प्रतिशत की दर पर बीमा शासन को वहन करना था, इसप्रकार, ₹234704/= का अनुचित अधिक भुगतान का लाभ ठेकेदार को दिया गया था।

इस प्रकार, कार्यालय में सेवा दे रहे कार्मिको की उपस्थिति व नामावली उपलब्ध न होने से किस कार्मिक के लिए वास्तव में भुगतान कार्यालय कर रहा है, उन सभी को नियमित भुगतान हो रहा है अथवा नहीं सुनिश्चित किए जाने हेतु कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं थे, शासन के देय दायित्व से EPF मद में ₹10,10,383/= + ₹1,43,677 कुल 1154060/= तथा बीमा मद में ₹2,34,704/= का अनुचित लाभ ठेकेदार ने प्राप्त किया।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि सभी दस्तावेज़ संबन्धित ठेकेदार से प्राप्त कर एवं जांच के उपरांत लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था कार्यालय को भुगतान करने से पूर्व अनुबंध की शर्तो के अनुसार कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है एवं उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए प्रावधानों का ठेकेदार पालन कर रहा है सुनिश्चित करना था जो नहीं किया गया । ठेकेदार ने समस्त धनराशि जो उसे EPF/ESI मद में प्राप्त हो रही का अनियमित रूप से लाभान्वित हो रहा हो से इंकार नहीं किया जा सकता।

अत: ₹13,88,764/= अनुचित अधिक लाभ ठेकेदार को दिये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

तालिका-1 EPF मद में ठेकेदार द्वारा वसूली गयी अधिक राशि।

माह	देयक राशि	कर्मकार का पद (तैनात कर्मकारों की संख्या)	वेतन की दर	कुल भुगतान वेतन	विभाग द्वारा भुगतान की गयी EPF दर	विभाग द्वारा भुगतान की गयी EPF धनराशि (6x3)	ठेकेदार द्वारा जमा EPF दर का प्रावधान	ठेकेदार ने जमा कुल राशि (8x3)	EPF मद अनियमित आहरित राशि (7-9)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01/2018	711644=	कम्प्युटर ऑपरेटर, अध्यापक (5)	10957=	54785=	2094=	10470=	812=	4060=	6410=	माह जनवरी 2018 से अगस्त 2018 तक के ECR उपलब्ध न होने से प्रभावी अनुमन्य वेतन दरों पर EFP अंशदान हेतु शासन का दायित्व 13% पर शासन की देयता की गणना की गयी है।
		वाहन चालक (7)	10687=	74809=	2042=	14294=	785=	5495=	8799=	
		अन्य वर्ग घ (49)	9423=	461727=	1800=	88200=	660=	32340=	55860=	
02/2018	711644=	कम्प्युटर ऑपरेटर, अध्यापक (5)	10957=	54785=	2094=	10470=	812=	4060=	6410=	
		वाहन चालक (7)	10687=	74809=	2042=	14294=	785=	5495=	8799=	
		अन्य वर्ग घ (49)	9423=	461727=	1800=	88200=	660=	32340=	55860=	
03/2018	711644=	कम्प्युटर ऑपरेटर, अध्यापक (5)	10957=	54785=	2094=	10470=	812=	4060=	6410=	
		वाहन चालक (7)	10687=	74809=	2042=	14294=	785=	5495=	8799=	
		अन्य वर्ग घ (49)	9423=	461727=	1800=	88200=	660=	32340=	55860=	
04/2018	708997=	कम्प्युटर ऑपरेटर, अध्यापक (5)	10957=	54785=	2094=	10470=	812=	4060=	6410=	
		वाहन चालक (7)	10687=	74809=	2042=	14294=	785=	5495=	8799=	
		अन्य वर्ग घ (48)	9423=	452,304=	1800=	86400=	660=	31680=	54720=	

		अन्य वर्ग घ (01)23 days	9423=	7224=	1800=	1800=	660=	660=	1140=	
05/2018	717060=	कम्प्युटर ऑपरेटर, डौग स्कोर्ड (5)	11168=	55840=	2094=	10470=	812=	4060=	6410=	
		वाहन चालक (8), अध्यापक	10898	87184=	2042=	16336=	785=	6280=	10056=	
		अन्य वर्ग घ (47)	9634=	452798=	1800=	84600=	660=	31020=	53580=	
06/2018	717060=	कम्प्युटर ऑपरेटर डौग स्कोर्ड (5)	11168=	55840=	2094=	10470=	812=	4060=	6410=	09/2018 Reliable ECR not available
		वाहन चालक, अध्यापक (8)	10898	87184=	2042=	16336=	785=	6280=	10056=	
		अन्य वर्ग घ (47)	9634=	452798=	1800=	84600=	660=	31020=	53580=	
07/2018	717060	कम्प्युटर ऑपरेटर, डौग स्कोर्ड (5)	11168=	55840=	2094=	10470=	812=	4060=	6410=	
		वाहन चालक, अध्यापक (8)	10898	87184=	2042=	16336=	785=	6280=	10056=	
		अन्य वर्ग घ (47)	9634=	452798=	1800=	84600=	660=	31020=	53580=	
08/2018	748102=	कम्प्युटर ऑपरेटर, डौग स्कोर्ड (5)	11168=	55840=	2094=	10470=	812=	4060=	6410=	
		वाहन चालक, अध्यापक (8)	10898	87184=	2042=	16336=	785=	6280=	10056=	
		अन्य वर्ग घ (49)	9634=	472066=	1800=	88200=	660=	32340=	55860=	
		अन्य वर्ग घ (01),21 Days	9634=	6526=	1800=	1800=	660=	660=	1140=	
09/2018	751,844=	कम्प्युटर ऑपरेटर, डौग स्कोर्ड (5)	11168=	55840=	2094=	10470=	812=	4060=	6410=	
		वाहन चालक, अध्यापक (8)	10898	87184=	2042=	16336=	785=	6280=	10056=	
		अन्य वर्ग घ (50)	9634=	481700=	1800=	90000=	660=	33000=	57000=	
10/2018	754,349=	कम्प्युटर ऑपरेटर, डौग स्कोर्ड (5)	11221=	56105=	2144=	10720=	1173=	5865=	4855=	माह अक्तूबर 2018 से अक्तूबर 2019
		वाहन चालक, अध्यापक (8)	10952	86351=	2093=	16744=	1142=	9136=	7608=	

		अन्य वर्ग घ (50)	9687=	484350=	1851=	92550=	986=	49300=	43250=	तक के ECR उपलब्ध न होने पर शासन का दायित्व 13% पर शासन की देयता की गणना की गयी
11/2018	830,711=	कम्प्युटर ऑपरेटर डौग स्कोर्ड (6)	11221=	67326=	2144	12864=	1173	7038=	5826=	
		वाहन चालक, अध्यापक (10)	10952=	109520=	2093	20930=	1142	11420=	9510=	
		अन्य वर्ग घ (53)	9687=	513411=	1851	98103=	986	52258=	45845=	
12/2018	830,711=	कम्प्युटर ऑपरेटर, डौग स्कोर्ड (6)	11221=	67326=	2144	12864=	1173	7038=	5826=	
		वाहन चालक, अध्यापक (10)	10952=	109520=	2093	20930=	1142	11420=	9510=	
		अन्य वर्ग घ (53)	9687=	513411=	1851	98103=	986	52258=	45845=	
01/2019	347867= 199710= 347287/2 145437=	कम्प्युटर ऑपरेटर, अध्यापक (2+3+4)	11221=	100989	2144	19296=	1173	10557=	8739=	
		वाहन चालक (4+1+2)	10952=	76664	2093	14651=	1142	7994=	6657=	
		अन्य वर्ग घ (23+16+9+8) व अन्य	9687=	542472	1851	103656=	986	55216=	48440=	
02/2019	347867= 209035= 347287/2 157071=	कम्प्युटर ऑपरेटर (4+3+2)	11221=	100989	2144	19296=	1173	10557=	8339=	
		वाहन चालक (4+1+2)	10952=	76664	2093	14651=	1142	7994=	6657=	
		अन्य वर्ग घ (23+17+8+10)	9687=	559908	1851	107358=	986	57188=	50170=	
03/2019	899317=	कम्प्युटर ऑपरेटर, डौग स्कोर्ड (6)	11221=	67326=	2144	12864=	1173	7038=	5826=	
		वाहन चालक व अन्य (9)	10952=	98568=	2093	18837=	1142	10278=	8559=	
		अन्य वर्ग घ (55)	9687=	532785=	1851	101805=	986	54230=	47575=	
04/2019	1019106 =	कम्प्युटरऑपरेटर व अन्य(6)	13715=	82290=	1270	7620=	1173	7038=	582=	
		वाहन चालक व अन्य (10)	13418=	134180=	1237	12370=	1142	11420=	950=	
		अन्य वर्ग घ (53)	11893=	630329=	1068	56604=	986	52258=	4346=	

05/2019	1019106 =	कम्प्यु0 ऑप0 व अन्य(6)	13715=	82290=	1270	7620=	1173	7038=	582=	
		वाहन चालक व अन्य (10)	13418=	134180=	1237	12370=	1142	11420=	950=	
		अन्य वर्ग घ (53)	11893=	630329=	1068	56604=	986	52258=	4346=	
06/2019	1020179 =	कम्प्युटर ऑपरेटर व अन्य (9)	13715=	123435=	1270	11430=	1173	10557=	873=	
		वाहन चालक (7)	13418=	93926=	1237	8659=	1142	7994=	665=	
		अन्य वर्ग घ (53)	11893=	630329=	1068	56604=	986	52258=	4346=	
07/2019	1020179 =	कम्प्युटर ऑपरेटर व अन्य (9)	13715=	123435=	1270	11430=	1173	10557=	873=	
		वाहन चालक (7)	13418=	93926=	1237	8659=	1142	7994=	665=	
		अन्य वर्ग घ (53)	11893=	630329=	1068	56604=	986	52258=	4346=	
08/2019	1020179 =	कम्प्युटर ऑपरेटर व अन्य (9)	13715=	123435=	1270	11430=	1173	10557=	873=	
		वाहन चालक (7)	13418=	93926=	1237	8659=	1142	7994=	665=	
		अन्य वर्ग घ (53)	11893=	630329=	1068	56604=	986	52258=	4346=	
09/2019	1069975	कम्प्युटर ऑपरेटर व अन्य (9)	13643=	122787=	1270	11430=	1173	10557=	873=	
		वाहन चालक (6)	13347=	80082=	1237	7422=	1142	6852=	570=	
		अन्य वर्ग घ (53)+5अन्यमाह	11831=	686198=	1068	61944=	986	57188=	4756=	
10/2019	757857=	कम्प्युटर ऑपरेटर व अन्य (9)	12143=	109287=	1270	11430=	1173	10557=	873=	
		वाहन चालक (7)	11847=	82929=	1237	8659=	1142	7994=	665=	
		अन्य वर्ग घ (53)	10468=	554804=	1083	57399=	986	52258=	5141=	
11/2019	778960=	कम्प्युटर ऑपरेटर व अन्य	12143=	109287=	1270	11430=	1173	10557=	873=	ECR के

		(9)								आधार पर
		वाहन चालक (7)	11847=	82929=	1237	8659=	1142	7994=	665=	
		अन्य वर्ग घ (55)	10468=	575740=	1083	59565=	986	54230=	4510=	
12/2019	802481=	कम्प्युटर ऑपरेटर व अन्य (8)	12143=	97144=	1270	10160=	1173	9384=	776=	
		वाहन चालक (8)	11847=	94776=	1237	9896=	1142	9136=	760=	
		अन्य वर्ग घ (54)	10468=	565272=	1083	58482=	986	53244=	5238=	
		अन्य (1) 20/30 दिन हेतु	10468=	6979=	1083	1083=	986	986=	97=	
		अन्य (1) 20/30 दिन हेतु	12143=	8095=	1270	1270=	1173	1173=	97=	
01/2020	808303=	कम्प्यु ऑप व अन्य (8)	12143=	97144=	1270	10160=	977=	7816=	2344=	ठेकेदार द्वारा EPF अंशदान 10% पर जमा किया जा रहा था को गणना में लिया गया जबकि शासन का दायित्व निर्धारित 13% था।
		वाहन चालक (9)	11847=	114621=	1237	11133=	952=	8568=	2565=	
		अन्य वर्ग घ (54)	10468=	565272=	1083	58482=	821=	44334=	14148=	
02/2020	64752= 25205= 715385=	कम्प्यु ऑप व अन्य (2+1+7)	12143=	109287=	1270	12700=	977=	9770=	2930=	
		वाहन चालक व अन्य (1+7)	11847=	94776=	1237	9896=	952=	7616=	2280=	
		अन्य वर्ग घ (3+1+50)	10468=	565272=	1083	58482=	821=	43513=	14969=	
03/2020	825888=	कम्प्यु ऑप व अन्य (9)	12143=	109287=	1270	11430=	977=	8793=	2637=	
		वाहन चालक (9)	11847=	106623=	1237	11133=	952=	8568=	2565=	
		अन्य वर्ग घ (55)	10468=	575740=	1083	59565=	821=	45155=	14410=	
04/2020	1024293	कम्प्यु ऑप व अन्य (7)	12143=	85001=	1270	8890=	977=	6839=	2051=	
		वाहन चालक (9)	11847=	106623=	1237	11133=	952=	8568=	2565=	
		अन्य वर्ग घ (63)	10468=	659484=	1083	68229=	821=	51723=	16506=	
05/2020	1042687	कम्प्यु ऑप व अन्य (10)	12143=	121430=	1270	12700=	977=	9770=	2930=	
		वाहन चालक (9)	11847=	106623=	1237	11133=	952=	8568=	2565=	
		अन्य वर्ग घ (60)	10468=	628080=	1083	64980=	821=	49260=	15720=	

06/2020	1038494	कम्प्यु ऑप व अन्य (11)	12143=	133573=	1270	13970=	977=	10747=	3223=	
		वाहन चालक (9)	11847=	106623=	1237	11133=	952=	8568=	2565=	
		अन्य वर्ग घ (59)	10468=	617612=	1083	63897=	821=	48439=	15458	
07/2020	1032356	कम्प्यु ऑप व अन्य (11)	12143=	133573=	1270	13970=	977=	10747=	3223=	
		वाहन चालक (9)	11847=	106623=	1237	11133=	952=	8568=	2565=	
		अन्य वर्ग घ (59)	10468=	617612=	1083	63897=	821=	48439=	15458	

तालिका- 2 : विभाग से बीमा मद में ठेकेदार द्वारा वसूली गयी अधिक राशि।

अवधि	**कर्मकार का पद**	**वेतन बीमा अंशदान के निर्धारण हेतु मजदूरी**	**अवधि में तैनात कार्मिक**	**विभाग से प्राप्त बीमा मद में राशि (6.50% की दर से)**	**विभाग की देयता बीमा मद में राशि (3.25% की दर से)**	**अंतर (ठेकेदार द्वारा विभाग से अधिक वसूली गयी राशि) (4-5)**	**अधिक अनुचित आहरित राशि**
1	2	3		4	5	6	7
01/2018 से 09/2018	कम्प्युटर ऑपरेटर	8323	45	540	271	269	12105
	ड्राईवर	8118	68	527	264	263	17884
	वर्ग घ	7158	437	465	233	232	101384
10/2018 से 12/2018	कम्प्युटर ऑपरेटर	8523	17	554	277	277	4709
	ड्राईवर	8318	28	541	270	271	7588
	वर्ग घ	7358	156	478	239	239	37284
01/2019 से 03/2019	कम्प्युटर ऑपरेटर	8523	24	554	277	277	6648
	ड्राईवर व अन्य	8318	23	541	270	271	6233
	वर्ग घ	7358	171	478	239	239	40869
			योग				**234704=**

भाग -दो (ब)

प्रस्तर- 02 : वन जमा में ₹2.16 लाख का विभाग के पास कोई विवरण नही होना।

वित्तीय नियम-संग्रह, खण्ड -7, वन लेखा नियमावली के नियम 198 के अनुसार वन सम्बन्धी जमा धनराशियों से संबन्धित लेन-देन का अभिलेख प्रभागीय कार्यालय में प्रपत्र सं. 23 की पंजी में रखा जाना चाहिए। पंजी में प्रत्येक पृथक जमा धनराशि की मद के मासानुमास प्राप्ति और समायोजनों के ब्योरे तथा इतिशेष दिखाये जाने चाहिये। इसे प्रभागीय लेखे को मुख्य लेखा परीक्षाक को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिमास भरा जाना चाहिये।

प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार के वन जमा पंजिका के अनुसार 31 मार्च, 2020 को ₹2,40,22,685/- अवशेष था। ट्रेजरी के लेखानुसार 31 मार्च, 2020 को ₹2,38,06,675/- ही अवशेष है (12 अक्टूबर 2020 को ट्रेजरी साइट से निकाली गई लेखा विवरण)। इस प्रकार ट्रेजरी के अवशेष और वन जमा पंजिका में अवशेष धनराशि में ₹2,16,010/- (2,40,22,685-2,38,06,675) का अंतर है। अर्थात वन जमा पंजिका के अवशेष के सापेक्ष ट्रेजरी में ₹2,16,010/- कम अवशेष है। सी-23 वन जमा पंजिका एवं ट्रेजरी विवरण का आवधिक मिलान नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता का घोतक है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने आंकडो एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये उत्तर में बताया कि "अभिलेखों से मिलान कर समाधान लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं किया जा सका, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का घोतक है। अतः वन जमा ₹2.16 लाख का विभाग के पास कोई विवरण नही होने का प्रकारण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 03 : लैनटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹19.25 लाख।

विभाग मे प्रचलित पद्धतिके अनुसार किसी भी लैनटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिये उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योकि प्रथम वर्ष लैनटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि मे उपलब्ध लैनटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के सम्पर्क में रहकर पुन: पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं | जिनके उन्मूलन के पश्चात लैनटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है इसी कारण से विभाग द्वारा लैनटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग-अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता हैं|

प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान प्रभाग में लेनटाना से प्रभावित क्षेत्र में प्रथम वर्ष उपचार तथा उन्मूलन हेतु राजि॰ रसियाबड़ में स्थल अमसोत-1अ, नलोवाला-5, आमसोत-1अ, नलोवाला-3, नलोवाला-9अ, नलोवाला-10अ, नलोवाला-4, नलोवाला-5, नलोवाला-6, नलोवाला-3, नलोवाला-4 में 150॰00 हेक्टेयर का चयन किया गया जिन पर ₹15॰5 लाख का व्यय किया गया। इन क्षेत्रों में द्वितीय वर्ष 2018-19 में 125॰00 हेक्टेयर में ही ₹3॰75 लाख का कार्य कराया तथा 25 हेक्टेयर में लेनटाना उपचार तथा उन्मूलन का कार्य ही नहीं कराया गया तथा तृतीय वर्ष 2019-20 में उपचार हेतु कोई व्यय किया हुआ नहीं पाया गया | जिससे स्पष्ट है कि प्रथम वर्ष उपचार 150॰00 हेक्टेयर मे, द्वितीय वर्ष उपचार 125॰00 हेक्टेयर परव्यय किये गये तथा तृतीय वर्ष लेनटाना उपचार तथा उन्मूलन का कार्य न कराये जाने से इन क्षेत्रों में लैनटाना पुन: उगकर क्षेत्र कि पारिस्थिति को प्रभावित करेगा | अतएव प्रभाग द्वारा लैनटाना उन्मूलन के कार्य को लगातार तीन वर्षो तक जारी न रखने के परिणामस्वरुप ₹19॰25 (15॰50+3॰75) लाख का व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में अवगत कराया कि उच्चस्तर से धनराशि न मिलने के कारण लेंटाना उन्मूलन कार्य नहीं किया जा सका।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं |

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- 04 : नियमानुसार कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरुप श्रमिक उपकर ₹5.13 लाख की कटौती कर जमा नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, श्रम एवं सेवायोजन विभाग की अधिसुचना संख्या- 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 देहरादून, दिनांक 17 मई, 2012 के क्रम में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण पकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 एवं 5 सपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर नियमावली, 1998 के नियम-2 के खंड (च) एवं (छ) तथा नियम 4,5 एवं 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जिन कार्यो में दस या दस से अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित हों, निर्मित कराये जाने वाला समस्त भवनों एवं रिहायशी आवास भी सम्मिलित है, पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अधीन उपकर लिया जाएगा।

उक्त के सन्दर्भ में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग में किए गए/करवाए गए निर्माण कार्यों की प्राक्कलन में कार्यमदों की गणना उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की दर सूची एवं वन विभाग की दर सूची के अनुसार दर विश्लेषण कर प्राक्कलन तैयार कर कार्य संपादित किये गये थे, जिसमें 1 प्रतिशत कर्मकर कल्याण उपकर की कटौती कर आयुक्त श्रम कल्याण उत्तराखंड हल्द्वानी के पक्ष में जमा नहीं किया गया था। विभाग के द्वारा विगत 03 वर्षों में कुल ₹513.08 लाख का निर्माण कार्य कराया गया था। जिस पर ₹5.13 लाख (513.08x1%) उपकर जमा किया जाना वाछित था। यथा समय उपकर की कटौती कर जमा नहीं किए जाने पर ब्याज और अर्थदण्ड का भी प्रावधान है।

यह इंगित करने पर कि क्या भविष्य में उल्लिखित अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार श्रमिक कल्याणार्थ 1 प्रतिशत उपकर की कटौती कर जमा किया जाना सुनिश्चित की जाएगी। विभाग ने आकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये उत्तर में बताया कि "सुनिश्चित की जाएगी"।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि अधिनियम एवं नियमानुसार कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरुप श्रमिक उपकर ₹5.13 लाख की कटौती कर जमा नहीं किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- 05 : नियमानुसार जिला खनिज फाउंडेशन में निर्धारित धनराशि ₹2.58 करोंड जमा नहीं करवाया जाना।

उत्तराखंड शासन औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1621/VII-1/2017/8ख /16 देहरादून दिनांक 17 नवंबर, 2017, उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 **दिनाँक 12 जनवरी,2015 को प्रबृत हुई समझी जायेगी। यह सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होगा। उल्लखित गज़ट के नियम 10 (2) के अनुसार समस्त उपखनिज पट्टाधारक रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।** उत्तराखंड शासन औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1998/VII-1/2016/80-ख /16 देहरादून दिनांक 14 फरवरी, 2018 के अनुसार भी **पट्टाधारक रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा करेंगे। इसके** परिप्रेक्ष्य में वन विकास निगम को आवंटित खनन क्षेत्रों की अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार द्वारा वन विकास निगम को आवंटित खनन क्षेत्रों से उपखनिज की निकासी की मात्रा पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा कराया जाना था। लेकिन वन विकास निगम के द्वारा प्रश्नगत धनराशि मात्र 2019-20 का ही जमा किया गया था। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का ₹25756071.50/- वन विकास निगम द्वारा उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा नहीं किया गया था, अर्थात नियमानुसार जिला खनिज फाउंडेशन में निर्धारित धनराशि 02.58 करोड़ जमा नहीं करवायी गयी जिसका विवरण निमन्वत है:-

क्र. सं.	**वर्ष**	**कुल प्राप्त राजस्व**	**25% जिला खनिज फाउंडेशन की धनराशि**
1	2015-16	-	-
2	2016-17	21819032.00	5454758.00
3	2017-18	81205253.98	20301313.50
4	2018-19	-	-
5	2019-20	28169292.55	7042323.14
	कुल जिला खनिज फाउंडेशन निधि की धनराशि		32798394.64
	वर्ष 2019-20 का जिला खनिज फाउंडेशन निधि की धनराशि वन विकास निगम के द्वारा जमा की जा चुकी है		(-)7042323.14
	अवशेष जिला खनिज फाउंडेशन निधि की धनराशि जमा किया जाना है		25756071.50

उक्त विवरण पत्रानुसार प्रश्नगत धनराशि वन विकास निगम के द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन निधि में जमा नहीं किया गया था। इसे इंगित करने पर विभाग ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए उत्तर में बताया कि "यथाशीघ्र धनराशि जमा करवाने की कार्यवाही की जाएगी"।

अतः नियमानुसार जिला खनिज फाउंडेशन में निर्धारित धनराशि ₹2.58 करोड़ जमा नहीं करवाया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर- 06 : विभाग की राजस्व वसूली के प्रति उदासीनता के परिणामस्वरूप ₹10.53 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना।

बकाया की सी-15 पंजिका प्रभागीय कार्यालय में अनुरक्षित की जाती है, जिसमे वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रपत्र सी-1, सी-5, सी-9, सी-12, सी-13 एवं सी-14 में दर्शाये गये सभी बकाये को इस पंजिका में लाया जाता है। लेखा परीक्षा के दौरान C-15 पंजिका की जांच में पाया गया कि वर्ष 2000-2001 से मार्च, 2020 तक निम्नलिखित राजस्व बकाया था-

क्रम संख्या	**बकाया का मद**	**बकाया धनराशि**
1-	वन निगम पर c-12 का बकाया	92206131
	उप वन संरक्षक स्तर पर बकाया	30425
	न्यायालय में चल रहे मामले	110480
	जिलाधिकारी स्तर पर वसूली	122254
2-	C-14 का बकाया	
	न्यायालय में लम्बित	1,14,08,289.00
	उप वन संरक्षक स्तर पर बकाया	1,01,920
	वन निगम के विरुद्द	12,71,130
	कुल बकाया धनराशि का योग (1+2)	**10,52,50,629**

सी-15 पंजिका का सत्यापन वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक किसी भी प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया था। अर्थात वसूली हेतु कोई यथौचित कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप रु. 10.53 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी। अभिलेखों में वसूली हेतु किए गए कार्यवाही से संबन्धित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। जब प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा बकाया पंजिका सी-15 का सत्यापन ही नहीं किया जा रहा था, तो कार्यवाही कैसे की जाती। विभाग का राजस्व वसूली के प्रति इस प्रकार की उदासीनता गंभीर वित्तीय अनियमितता का घोतक है। इसे इंगित करने पर विभाग ने आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये उत्तर में बताया कि "यथाशीघ्र वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी"। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि वसूली हेतु कोई यथौचित कार्यवाही नहीं की गई थी।

अतः विभाग की राजस्व वसूली के प्रति उदासीनता के परिणामस्वरूप ₹10.53 करोड़ की वसूली नहीं किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो–(ब)

प्रस्तर- 07 : वन जमा में CAMPA निधि हेतु प्राप्त धनराशि ₹2.06 करोड़ अनाधिकृत रुप से रखा जाना।

वित्तीय नियम-संग्रह, खण्ड 7, वन लेखा नियमावली के नियम 198 के अनुसार वन सम्बन्धी जमा धनराशियों से संबन्धित लेन-देन का अभिलेख प्रभागीय कार्यालय में प्रपत्र सं. 23 की पंजी में रखा जाना चाहिए। पंजी में प्रत्येक पृथक जमा धनराशि की मद के मासानुमास प्राप्ति और समायोजनों के ब्योरे तथा इतिशेष दिखाये जाने चाहिये। इसे प्रभागीय लेखे को मुख्य लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिमास भरा जाना चाहिये।

प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के वन जमा पंजिका के अनुसार 31 मार्च, 2020 को ₹2,40,22,685/- अवशेष था, जिसमें से प्रभागीय लौगिंग प्रवंधक उत्तराखण्ड वन विकास निगम हरिद्वार के द्वारा दो चालानों से क्षतिपूर्ति और वनीकरण मद हेतु दिनांक 30/03/2019 को ₹20,6,45,806/- (10322903+10322906) जमा किया गया था, जोकि वर्ष 2017-18 में उत्पादित उपखनिज के सापेक्ष प्राप्त किया गया था। इस धनराशि को CAMPA निधि में जमा किया जाना था लेकिन इसे अतिथि तक डिपॉज़िट में ही जमा रखा गया है। जो कि अनियमित है।

इसे इंगित करने पर विभाग ने आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये उत्तर में बताया कि “यथा नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही कर आख्या प्रेषित की जाएगी”। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि बिना प्राधिकार के CAMPA निधि हेतु प्राप्त धनराशि रु. 20645806/-को 1-1/2 वर्ष तक अवरुद्द रखा जाना वित्तीय अनियमितता है।

अतः वन जमा में कुल ₹02.06 करोड़ अनाधिकृत अवरुद्द रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर - 08 : निर्धारित लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्त होना ₹399.64 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य ₹1311.27/- लाख के सापेक्ष राजस्व ₹911.63/- लाख की प्राप्ति हुई थी, जो निर्धारित लक्ष्य से ₹399.64/- कम प्राप्त हुआ था | जिसमें निम्न मदों जैसे सरकारी अभिकरण द्वारा हटाई गई, उपभोक्ताओं/खरीददारों द्वारा, हटायी गयी जुर्माना तथा जबतिया एवं अन्य प्राप्तियाँ पर लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व प्राप्त हुआ था |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि खनन, वन निगम को प्रेषित लॉट तथा विकास कार्य की लॉट के सापेक्ष निगम से राजस्व प्राप्त नही हुआ तथा लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व प्राप्त होने पर रेंजो को दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व प्राप्त होने पर संबन्धित रेंजों को कोई दिशा निर्देश लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं दिये गये थे। राजस्व प्राप्त किए जाने हेतु इकाई द्वारा कोई प्रयास न किए जाने से निर्धारित राजस्व लक्ष्य से कम प्राप्त होने से ₹399.64 लाख की राजस्व हानि हुई |

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 09 : राजस्व को विलम्ब से कोषागार/बैंक मे जमा कराया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रभाग की रेजों द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजस्व को कोषागार में नियत समय पर नहीं जमा किया जा रहा था, जबकि वित्तीय नियमानुसार सरकारी प्राप्ति धनराशि को उसी दिन कोषागार/बैंक में जमा करा दिया जाना चाहिए तथा दूर होने की स्थिति में अगले दिन अवश्य ही जमा करा दिया जाना चाहिए। परन्तु प्रभाग की रेजों द्वारा प्राप्त राजस्व को नियमानुसार उसी दिन अथवा दूर होने की स्थित में अगले दिन कोषागार में जमा नहीं कराया जा रहा था जबकि सभी रेंज सुगम स्थान पर स्थिति है और कैशियर का बीमा भी नहीं कराया गया। प्राप्त राजस्व को नियत समय पर न जमा किया जाना नियम विरूद्ध है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये अवगत कराया गया कि सभी रेंज/यूनिटों को उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रभाग ने रेंजों को निर्देशित किए जाने सम्बन्धी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया। इस प्रकार प्राप्त राजस्व विलम्ब से कोषागार/बैंक मे जमा किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 10 : चालान का कोषागार से सत्यापन न हो पाना ₹88.86 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार के वर्ष 2019-20 मे माह 09/2019 में प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हरिद्वार के द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष-0406 में जमा चालान संख्या-70 दिनांक: 24-09-2019 धनराशि ₹88,85,766/- को भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटद्वार में जमा कराया गया था, जिसका सत्यापन कोषागार से नहीं हो पाया।

लेखापरीक्षा द्वारा जमा चालान के सम्बन्ध इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कोषाधिकारी कोटद्वार से सत्यापन कर सूचित करने का आग्रह किया गया है। सत्यापन प्राप्त होते ही लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

अतएव उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर- 01 : जमानत धनराशि जमा नहीं कराया जाना ₹0.56 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के जमानत जमा पत्रावली की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा निर्धारित/अवशेष जमानत जमा धनराशि ₹55,500/-(संलग्नक विवरण) जमा नहीं कराया गया था |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि अवशेष जमानत जमा करा दी जायेगी| इस प्रकार जमानत जमा धनराशि ₹0.56 लाख नहीं जमा कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
2005-06	-	01,02	-
2006-07	01,02	-	-
2007-08	-	01,02,03	-
2011-12	-	01,02	-
2012-13	01,02,03	01	-
76/2017-18	-	01,02,03	-
82/2018-19	01,02	01,02,03,04	-
48/2019-20	-	01,02,03,04,05,06	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

i. कैशकैप के मार्च 2014 से संबंधित वाउचर का सत्यापन भी कराया गया था तथा वाहन के संबंध में कार्यवाही नही की गयी थी।

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री आकाश कुमार वर्मा	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांये।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV